न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 536/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88,48, आरटीए

1. सुरेश पुत्र श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मानव सहू पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. रामेश्वरी पत्नी श्री श्योकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री महावीर बेरड़–वकील वादीगण
2– श्री कुलदीप मूण्ड–वकील प्रति.सं. 1 ता 2

दिनांक :– 1-1-2026

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 101/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.530 है. कृषि भूमि, वादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 170/89 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.112 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 96/79 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 2/5 हिस्सा अर्थात 1.3564 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 101/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.530 है. कृषि भूमि, वादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 170/89 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.112 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 96/79 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 2/5 हिस्सा अर्थात 1.3564 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आपस में अपनी स्वतंत्र ईच्छा, सहमति एवं बिना किसी दबाव एवं बिना किसी नषा–पता के तथा काश्त की सुविधा एवं कृषि भूमि के एकीकरण के लिये तबादला कर लिया है। तबादला के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को निम्नानुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

1. वादी सं. 1 सुरेश पुत्र श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ को तबादला में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः– तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 96/79 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.253 है. कृषि भू

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. वादी सं. 2 मानव सहू पुत्र श्री सुरेष कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) को तबादला में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:— तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 96/79 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में 0.506 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र पुत्र श्री ष्योकरण जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) को तबादला में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :— तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 170/89 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 0.506 है. कृषि भूमि एवं तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 101/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 0.047 है. कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 2 रामेश्वरी पत्नी श्री ष्योकरण जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) को तबादला में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :— तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 101/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 0.080 है. कृषि भूमि

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आपस में अपनी—अपनी कृषि भूमि का बिना किसी प्रतिफल के तबादला कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तबादलानुसार आपस में कब्जे का आदान—प्रदान भी कर लिया है। तबादलानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं लेकिन तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे वादीगण तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे वादीगण तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 कुछ दिन तक तो टाल मटोल करता रहा, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 3 को भू—धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी. पी. ए के खाता सं. 101/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 2.530 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.047 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.080 है. कृषि भूमि कि

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावें एवं वादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 170/89 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.112 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 96/79 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 2/5 हिस्सा अर्थात 1.3564 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का तथा वादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन एवं प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सुरेश का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :–

- चक 9 बीजीपी–ए खाता संख्या 101/13 ज.स. 2070–73 प्रदर्श–1
- चक 9 बीजीपी–ए खाता संख्या 170/89 ज.स. 2071–74 प्रदर्श–2
- चक 6 बीजीपी–बी खाता संख्या 96/79 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–3

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्श्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार, अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म एक सम्मान नहरी है विनिमय होने वाली आराजी की डीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 536 / 2025

1 सुरेश पुत्र श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2 मानव सहू पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम्

1 रामचन्द्र पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 रामेश्वरी पत्नी श्री श्योकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– वादी सं. 1 के नामं से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 101 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.530 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.047 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.080 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावें एवं वादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 170 / 89 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.112 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 96 / 79 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 2 / 5 हिस्सा अर्थात 1.3564 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का तथा वादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन एवं प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज...×...निल...×...मुब्लिक...×...निल...×...बाबत्...×...निल...×खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...×...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1-1-2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया